

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग

प्रेषक :

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम
सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक : 20/08/2015

विषय : उच्च माध्यमिक संगीत शिक्षक के नियोजन से संबंधित मार्ग-निदेश के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1549 दिनांक 14.08.15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा संगीत शिक्षकों के निर्दिष्ट अर्हता के संबंध में दिये गये निदेश का अवलोकन करना चाहेंगे।

प्रसंगाधीन पत्र के क्रम में सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक के०-338 दिनांक 20.08.15 द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन के आधार पर प्राचीन कला केन्द्र चण्डीगढ़ एवं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के निम्न उपाधि की मान्यता निम्न रूपेण दी जा रही है :-

डिग्री	प्राचीन कला केन्द्र चण्डीगढ़		प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद	
	उपाधि (नाम अंकित किया जाय)	पूर्णांक	उपाधि (नाम अंकित किया जाय)	पूर्णांक
इंटरमीडिएट	संगीत भूषण (तृतीय वर्ष)	150	सीनियर डिप्लोमा (चतुर्थ वर्ष)	150
स्नातक	संगीत विशारद (पूर्ण पंचम वर्ष)	300	संगीत प्रभाकर (षष्ठम वर्ष)	500
स्नातकोत्तर	भाष्कर पूर्ण (सप्तम वर्ष)	400	प्रवीण पूर्ण (अष्टम वर्ष)	500

अभ्यर्थियों द्वारा निर्दिष्ट अर्हता अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित पूर्णांक/प्राप्तांक अनुमान्य होगा।

उपर्युक्त निदेश के अनुसार निर्मित मेधा सूची होने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 1549 दिनांक 14.08.15 के द्वारा प्रावधानित कार्यक्रम के अनुसार नियोजन सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा निर्दिष्ट तिथि को मेधा सूची के अनुमोदनोपरांत नियमावली के प्रावधान के तहत नियोजन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे।

प्रसंगाधीन पत्र में संगीत अभ्यर्थियों के नियोजन के संबंध में दिये गये निदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत् रहेगा।

विश्वासभाजन,

20/8/15

(आर० के० महाजन)

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक :- 11/नि2-13/91 (खंड) अंश-III 1583

पटना, दिनांक 20/08/2015

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajendra
20/8/15
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग